



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 7, 1974/भाद्र 16, 1896
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1974/BHADRA 16, 1896

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल मन्त्रालय

'केरल'

(कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1974

सा० का० नि० 944.—भारतीय पुलिस सेवा (काइर) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 की धारा 61) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार के परामर्श से एतद् द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (काइर सहायता का नियतन) विनियम, 1955 की और आगे मंगोहित करने के लिये निम्नलिखित विनियम, बनाती है अर्थात् —

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (काइर सहायता का नियतन) अधुये मन्त्रिमण्डल विनियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख का प्रकृत दिनांक।

2. भारतीय पुलिस सेवा (काइर सहायता का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'केरल' शीर्ष के लिये और तदधीन आने वाली परिवर्तनों के लिये, निम्नलिखित प्रावधानों की जाणगी, अर्थात् —

1. राज्य सरकार के अर्धीन बरिष्ठ पद	35
पुलिस का महातिरीक्षक	1
पुलिस का उप-महानिरीक्षक (रेज)	3
पुलिस का उप-महानिरीक्षक सी आर्ट डी एच रेलवे	1
पुलिस का उप-महानिरीक्षक (सतर्कता)	1
सहायक पुलिस महातिरीक्षक (मुख्यालय)	1
अतिरिक्त सहायक पुलिस महातिरीक्षक	1
पुलिस आयुक्त त्रिवेन्द्रम	1
पुलिस आयुक्त, अरनाकुलम शहर	1
समादेष्टा मण्डल पुलिस बटालियन	3
पुलिस अधीक्षक गविल आपूर्ति शाखा	1
पुलिस अधीक्षक, एका त्राव, सतर्कता शाखा	2
पुलिस अधीक्षक, त्रिवेण्ड्र शाखा	1
पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा सी आर्ट डी	2
पुलिस अधीक्षक, रेल	1
पुलिस अधीक्षक, त्रिला	11
प्रिगपन प्रशिक्षण कालेज	1
सयुक्त पुलिस अधीक्षक (उप खड)	3
कुल	35

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1974

सां० का० नि० 967.—राष्ट्रपति मंत्रिधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) अग्निशमन कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 1961 में धीरे-धीरे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) अग्निशमन कर्मचारिवृन्द भर्ती (सहायक) नियम 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) अग्निशमन कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम 1961 की अनुसूची में फायरमैन के पद में सम्बन्धित क्रम संख्या 3 के सामने —

- (i) स्तम्भ 4 में "100 प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर "50 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी।
- (ii) स्तम्भ 6 में, "50 प्रतिशत" प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी।
- (iii) स्तम्भ 9 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"अधिमार्ग्यतः मिडिल स्तर (सीमरा फार्म या सातवां स्तर) या स्थानीय जनभाषा पढ़ने और लिखने के योग्य हाना चार्जिंग।

अभ्यर्थी का निम्नलिखित शारीरिक स्तर होना चाहिए—

- (क) ऊंचाई: 5 फुट 5 इंच।
- (ख) छाती: 2 इंच के न्यूनतम प्रसारण सहित 32 इंच।
- (ग) भार में 110 पीण्ड से कम न हो। किसी आंशिक या पुराने रोगों से मुक्त हो।
- (घ) एक मिनट में 10 स्टीन के भार सहित 100 गज की दूरी तक भागने के योग्य होना चाहिए और धरती से 8 से 10 फुट की ऊंचाई तक रस्सी या खड़ी भीधी तनी पर चढ़ने में समर्थ होना चाहिए।"
- (iv) स्तम्भ 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "हैं" निवाए आयु सीमा के" प्रविष्टि रखी जाएगी।
- (v) स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय काडर के दर्जे 1 कर्मचारिवृन्द जिनके पास स्तम्भ 9 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।"

[म० एफ० 33(2)/73-एम० एम०-2]

पी० वी० कुलकर्णी, अवर सचिव

(Works Division)

New Delhi, the 15th July, 1974

G.S.R. 967.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Fire Fighting Staff Recruitment Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Fire Fighting Staff Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Fire Fighting Staff Recruitment Rules, 1961, against serial number 3 relating to the post of Fireman,—

- (i) in column 4, for the entry "100 per cent" the entry "50 per cent" shall be substituted;
- (ii) in column 6, the entry "50 per cent" shall be inserted;
- (iii) in column 9, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Preferably middle standard (3rd form or 7th standard) or should be able to read and write local vernacular. The candidate should possess the physical standard of—

- (a) Height: 5' 5";
- (b) Chest: 32" with minimum expansion of 2";
- (c) Not less than 110 lbs. in weight. Must be free from any organic or chronic diseases;
- (d) Should be able to run a distance of 100 yards with a load of 10 stones in one minute and should be capable of climbing a rope or a vertical pipe to a height of 8 to 10 feet from the ground."

(iv) in column 11, for the existing entry, the entry "Yes, except age limits" shall be substituted;

(v) in column 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Class IV staff of subordinate offices Cadre of Central Public Works Department, who fulfil the qualifications specified in column 9".

[No. F. 33(2)/73-MS-H]

P. B. KULKARNI, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1 अगस्त, 1974

सां० का० नि० 968.—मंत्रिधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1961 में प्रतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) (तृतीय संशोधन) भर्ती नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1961 की अनुसूची में, क्रम संख्या 64 के सम्मुख कालम 2 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"हैड क्लर्क या एकाउन्टेन्ट या सीनियर स्टोरकीपर"।

[मं० 1/5/73-सी० (ए०)]

एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 27th August, 1974

G.S.R. 968.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

- (1) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial No. 64 in Column 2 for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—

"Head Clerk or Accountant or Senior Storekeeper".

[No. 1/5/73-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1974

मुद्रित

सां. कां. नि० 969.—दिनांक 18 मई, 1974 के भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (I) के पृष्ठ 1107 पर प्रकाशित भारत सरकार, संचार मंत्रालय की अधिसूचना सां. कां. नि० 491 में :—

- (क) उक्त नियम के नियम 3(1) की चौथी पंक्ति में प्राये शब्द 'पक' के स्थान पर 'तक' पढ़ा जाए।
- (ख) उक्त नियम के नियम 3(2)(3) के प्रथम पैरे की चौथी पंक्ति में प्राये शब्द 'युक्तिमुक्त' के स्थान पर 'युक्तियुक्त' पढ़ा जाए।

[सं० आर० 11012/1/73-एल० आर०]

प्र० मु० जोशी,

सहायक बेतार मलाहकार

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd August, 1974

G.S.R. 970.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mica Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mica Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment (Seventh Amendment) Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Mica Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1967,—

(i) in 'Part I—Andhra Pradesh'—

- (a) against item 1, for the entry in column 10, the following shall be substituted, namely :—

65 GI/74—12

"Junior Assistant Welfare Inspector with 4 years' service and Head Clerk-cum-Accountant with 3 years' service rendered after appointment thereto on a regular basis."

- (b) against item 2, for the entries in columns 4, 5, 9 and 10, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

4	5	9	10
Selection	By promotion failing which by direct recruitment	Age—No Qualifications— Yes	Senior Clerk with 3 years' service in the grade."

(ii) in 'Part II—Bihar',—

- (a) against item 1, for the entry in column 10, the following shall be substituted, namely :—

"Welfare Organiser or Head Clerk-cum-Accountant with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.;"

- (b) against item 2, for the entry in column 10, the following shall be substituted, namely :—

"Field worker or senior clerk in the scale Rs. 130-300 with three years' service in the grade.;"

(iii) in 'Part III—Rajasthan',—

- (a) against item 1, for the entries in column 10, the following entries shall be substituted, namely :—

"Junior Assistant Welfare Inspector or Head Clerk-cum-Accountant with 3 years' service rendered after appointment thereto on a regular basis."

- (b) against item 1-A, for the entries in columns 4, 5, 9 and 10 the following entries shall respectively be substituted, namely :—

4	5	9	10
Selection	By promotion failing which by direct recruitment.	Age—No Qualifications— Yes	Senior Clerk with 3 years' service in the grade."

[A-12018/1/74 M-III]

New Delhi, the 23rd August, 1974

G.S.R. 971.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mica Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, in sub-rule (2) of rule 14, for the words "five members," the words "five members; provided that the Chairman may reject any such matter if he is satisfied that it is perverse, mala fide or against public decency or morals" shall be substituted.

[S-22012/1/74 M-III]

B. K. SAKSENA, Under Secy.